



सत्यजित रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान

Satyajit Ray Film & Television Institute भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक शैक्षणिक संस्थन An Academic Institute under the Ministry of I& B, Government of India

संख्या : 71035/03/2020-Admn. दिनांक: 07.11.2020

कार्यालय आदेश

गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ आदेश संख्या 40-3 / 2020-DM-I (A) दिनांक 27.10.2020 और पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जारी किया आदेश ज्ञापन क्रमांक No.368-CS / 2020 दिनांक 01.11.2020 में देश में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए किए जाने वाले उपायों के ध्यान में रखते हुए सत्यिजत रे फिल्म एवं टेजीविजन संस्थान, कोलकाता में नियमित शैक्षणिक गतिविधियाँ (नए प्रवेश के लिए ओरिएंटेशन और साक्षात्कार सहित ऑनलाइन कक्षाओं कोछोड़कर) 30.11.2020 तक निलंबित रहेंगी।

यह निदेशक (प्रभारी) महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

एस/डी (सोमादित्य मजूमदार) कुल सचिव (प्रभारी)

Date: 07.11.2020

No. 71053/03/2020-Admn.

Office Order

In view of the orders along with guidelines issued by the Ministry of Home Affairs vide order No.40/3/2020 DM-I(A) dated 27.10.2020 and Order Memo No. 368-CS/2020, dated 01.11.2020 issued by Govt. of West Bengal on guidelines for reopening, Regular academic activities (except online activity including Orientation and Interview for new admission) in SRFTI, Kolkata, shall continue to remain suspended till 30.11.2020.

This issues with the approval of the Director (i/c).

S/d (Somaditya Majumder) Registrar (I/C)